4/25 पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज लगवाई गई बार-बार आवाज लगवाने के बावजूद वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः दावा वादी अधि-हीपी - अधिवक्ता से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्तीबद्ध हो इस पाबंदी दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज०)